

Post Matric Scholarship For ST/SC/OBC

- <https://www.tribal.mp.gov.in/mptaas/>

1. Profile Registration (प्रोफाइल पंजीयन)

- डिजीटल जाति प्रमाण पत्र
- नवीन सत्र का डिजीटल आय प्रमाण पत्र
- डिजीटल मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- समग्र आई0 डी0
- बैंक खाता आधार से लिंक एवं मोबईल से लिंक करना अनिवार्य है। जीरो बलेन्स खाते मान्य नहीं है।
- कक्षा में उपस्थिति 75% से अधिक

Sambhal Yojana मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक पात्रता

आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शर्तें

- मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों को ही दिया जाएगा ।
- मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
- इस योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र से जुड़े परिवार के बच्चों को ही दिया जाएगा
- इस योजना के अंतर्गत मेस शुल्क एवं कॉशन मनी शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही शुल्क शामिल किया जाएगा जो विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है ।

Sambhal Yojana मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शर्तें

- आवेदक के माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है ।
- इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जाएगा।
- शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के आधार लिंक खाते में देय होगा।
- विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा
- सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर एवं माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा।

Sambhal Yojana मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आयडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- शिक्षा का प्रमाण पत्र